

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2023-24 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2023-24/39, दिनांक 20.06.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2023-24 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 5000.00 लाख (रूपया पचास करोड़ मात्र) की अग्रिम आहरण के रूप में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तोंप्रतिबन्धों के अंदीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (4) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2023 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

-
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।
- (6) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
- (7) धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 50,00,00,000 (रूपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023/2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210011100900 राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-100/दस-2023-24, दिनांक 07 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (4) निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) संबंधित कोषाधिकारी।
- (7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- (9) चिकित्सा अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।